

हेमचन्द गोयल

निगम पार्षद

दिल्ली नगर निगम

वार्ड नं. 203, बदरपुर, नई दिल्ली

सदस्य :

1. नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासनात्मक एवं सम्बद्ध मामले समिति
2. प्राथमिक क्षेत्रीय समिति
3. निर्माण समिति



कार्यालय दूरभाष : 29893694

कार्यालय :

607, मेन जैतपुर रोड
ताजपुर पहाड़ी, बदरपुर
नई दिल्ली - 110 044

4 NOV 2011

10.11.2011

क्रमांक

दिनांक

श्री कमलनाथ जी
माननीय शहरी विकास मंत्री
भारत सरकार
निर्माण भवन, नई दिल्ली

OFFICE OF UDM

Dy. No. 3997

Date 18/11/11

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

AREA PLANNING ZONE E & O

REVIEW OF MPD-2021

FOR SUGGESTION

Dy. No. 8006/13

DATE 1-2-12

विषय: निगम वार्ड मीठापुर व जैतपुर को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ओ जोन (ZONE O) से एफ जोन (ZONE F) में परिवर्तित करने हेतु

मान्यवर

इस पत्र के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लागू मास्टर प्लान 2021 के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम वार्ड मीठापुर व जैतपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र को ओ जोन (ZONE O) में रखा गया है जो कि पूर्णतया गलत है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर पारित आदेशों के अनुसार ओ जोन यमुना नदी की धारा के दोनो तरफ 300 मीटर क्षेत्र को माना गया है। उपरोक्त दोनो निगम वार्डों का क्षेत्र यमुना नदी की धारा से 2 से 6 किलो मीटर पर स्थित है जो कि यमुना नदी के अग्रभाग/यमुना रीवर बैंड से पर्याप्त दूरी पर स्थित है।

महोदय उपरोक्त क्षेत्र के अंतर्गत तीन गांव मीठापुर, हरीनगर तथा जैतपुर तथा सरकार द्वारा 20-सूत्रीय योजना के अंतर्गत भूमिहानी को प्लॉट आर्वाइटेड कर बसाई गई हरीजन बस्ती एवं दर्जनों अनाधिकृत कालोनियों हैं जो कि पूर्णतया विकसित हैं जिनमें लगभग चार लाख लोग निवास करते हैं। ये सभी अनाधिकृत कालोनियों दिल्ली सरकार की 1639 की सूची में शामिल हैं जिनके नियामिकाकरण की प्रकिया तेजी से चल रही है। यहाँ सरकार द्वारा सड़क, नाली, बिजली तथा पानी आदि की सुविधाएँ पूरी तरह से उपलब्ध करा दी गई है। इस क्षेत्र में तीन प्राथमिक तथा तीन सीनियर सैकंडरी विद्यालय, डिसपेंसरी तथा बारातघर आदि बनाए जा चुके हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यमुना नदी से एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर सरिता विहार, जसोला विहार तथा पुनर्वास कालोनी मदनपुर खादर बसाई गई है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त कालोनियों की भाँति इस क्षेत्र को भी एफ जोन (ZONE F) श्रेणी रखवाकर यहाँ के लगभग चार लाख नागरिकों को राहत प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा।

सादर

आपका

OFFICE OF THE DIR (Pig.)

MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2

Dy.No. 2101

Dated 24-4-12

(हेमचन्द गोयल)

- 1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार
- 2 माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार
- 3 उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
- 4 निदेशक (योजना) एम पी आर, दिल्ली विकास प्राधिकरण
- 5 आयुक्त, दिल्ली नगर निगम
- 6 मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
- 7 श्री रमेश कुमार (माननीय वार्डर)
- 8 श्री राम रते मताजी (माननीय विकासक)

AS (ND)

2011